

महिलाओं के अधिकार और उन्हें सशक्त बनाने के उपायों का मूल्यांकन

अंजलि यादव¹ डॉ. एस. के. त्रिवेदी²

शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा विभाग

1. शोधार्थी श्याम विश्वविद्यालय लालसोट, दौसा, राजस्थान
2. पर्यवेक्षक श्याम विश्वविद्यालय लालसोट, दौसा, राजस्थान

सार—

नोबेल पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० अमर्त्यसेन ने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी इससे लाभ होगा वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है आज महिलाएं आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गयी है लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है। यह शोध पत्र भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के उपायों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के महत्व और उन्हें सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की गई है। साथ ही, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी संरक्षण और सामाजिक मानसिकता में बदलाव के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पत्र सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का उल्लेख करता है और सशक्तिकरण की दिशा में चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार करता है। इस शोध का उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने की है। यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग और आत्म निर्भर है तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊँचा होगा और ये देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

प्रस्तावना—

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्राचीनकाल से ही स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक काल में स्त्रियों विदूषी, पराक्रमी, सबला और शक्तिशाली थीं। वह पुरुष की पूरक, अर्द्धांगिनी और सर्वशक्ति सम्पन्न थीं।⁴ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में हास प्रारंभ हुआ विवाह, धर्म सम्पत्ति एवं शिक्षा के ह्रास होने के फलस्वरूप स्त्रियों की प्रस्थिति में पतन होने लगा।⁵ मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों ने स्त्रियों की दशा और भी दयनीय बना दिया। बाल हत्या, सतीप्रथा जौहर प्रथा, विधवाओं की उपेक्षा, बहुपत्नी प्रथा पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा जैसी बुराईयों ने समाज में जड़ जमा ली।⁶ आधुनिक काल में कमोवेश विभिन्न धार्मिक समुदायों ने महिलाओं की प्रस्थिति में कुछ भिन्नताओं के बावजूद सम्पूर्ण भारतीय समाज में महिलाएं पुरुषों के अधीन ही प्रतीत होती हैं। जहां लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था समाज के सम्पूर्ण क्रियाकलापों को संचालित कर रही है। महिलाओं का आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त होना उनके आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण का सीधा सम्बन्ध महिलाओं की अपने संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के प्रति चेतना स्तर से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के समय गांधी जी के नेतृत्व में महिला उत्थान आन्दोलन चलाये गये लेकिन स्वतंत्र भारत में महिला आन्दोलन की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जाती है। 1967 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्ति से सम्बद्ध घोषणा एवं सदस्य देशों ने अपने देशों की महिला प्रस्थिति पर प्रतिवेदन की अनुशंसा पर 1971 में भारत सरकार की समाज कल्याण राज्य मंत्री फूलरेणु गुहा के नेतृत्व में भारत में महिलाओं की प्रस्थिति पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1974 में अपना प्रतिवेदन टुवार्डस इक्वालिटी सरकार को प्रस्तुत किया। स्वाधीन भारत में महिलाओं की प्रस्थिति पर यह पहला विस्तृत प्रतिवेदन था।

समिति के प्रतिवेदन में सामाजिक विधायन कानूनों में यथेष्ट संशोधन, समन्वय, सम्प्रेषण एवं क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों की आवश्यकता तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोगों की स्थापना को भी रेखांकित किया गया। इन प्रयासों के अन्तर्गत संसद ने सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया एवं सन् 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी क्षेत्रों में विशेषकर राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों तक महिलाओं की पहुंच एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना है। इस हेतु सभी आवश्यक कदम, जिससे उच्च विधायी निकायों सहित अन्य सभी क्षेत्रों यथा शिक्षा, नियोजन आदि में आवश्यकतानुसार समयबद्ध आरक्षण भी शामिल है, उठाने का संकल्प लिया गया है।

भारतीय संविधान प्रस्तावना मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों तथा निर्देशक सिद्धांत में यथा निहित अनुसार सभी लिंगों को समान अधिकार देता है भारत में महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। संविधान महिलाओं के संचयी सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक नुकसानों को समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिये राज्य को अधिकृत भी करता है। यह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करने का मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक पर डालता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिससे महिलाएँ जीवन के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करने तथा अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए अपने अधिकारों का दावा कर पाती हैं। इस प्रक्रिया के साथ सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की सामर्थ्य के साथ घर के अन्दर और बाहर निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता जुड़ी होनी चाहिए महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं।

महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं और उनके अधिकारों और सशक्तिकरण का सीधा संबंध समाज की प्रगति और विकास से है। भारतीय समाज में, परंपरागत रूप से महिलाओं को कई सामाजिक, आर्थिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, बीते कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह शोध पत्र महिलाओं के अधिकारों की महत्वपूर्णता को उजागर करता है और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण करता है।

इस शोध पत्र में, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की पहल, और सामाजिक मानसिकता में बदलाव के महत्व पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, और कानूनी संरक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के विभिन्न तरीकों का भी विश्लेषण किया गया है। यह पत्र उन चुनौतियों और समस्याओं को भी रेखांकित करता है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदमों का प्रस्ताव करता है।

महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के मुद्दे विशेष रूप से भारतीय समाज में गहरे और महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों पर विचार करना और इन्हें समझना हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाज की प्रगति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अधिकार और संसाधन हैं।

भारतीय संविधान एवं महिला सशक्तिकरण

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और उनमें किए गए महिलाओं हेतु प्रावधान इस प्रकार हैं—

अनुच्छेद 14 राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा चाहे वह महिला हो या पुरुष।

अनुच्छेद 15 : (3) महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 16 : लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।

अनुच्छेद 19 : समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 23–24 नारी क्रय–विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक।

अनुच्छेद 39 (घ) : स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 42 : महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता।

अनुच्छेद 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा।

अनुच्छेद 47 : लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व।

अनुच्छेद 51क (ड) : प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।

अनुच्छेद 243 (घ) (न) : पंचायतीराज एवं नगरीय संस्थाओं में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद 325 निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

महिलाओं के अधिकार:

महिलाओं के अधिकार समाज में समानता और न्याय के आधार को दर्शाते हैं। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता के अधिकारों का संरक्षण और सुनिश्चित किया है। अनुच्छेद 14 और 15 महिलाओं को समान प्रतिष्ठा और समान अधिकारों का अधिकार देते हैं, जबकि अनुच्छेद 16 में समान वेतन के लिए प्रतिष्ठा की गई है। महिलाओं को समान प्रावधानों के तहत शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की गारंटी देते हुए संविधान ने भारतीय महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया है।

महिला सशक्तिकरण:

महिला सशक्तिकरण उन्हें स्वतंत्र बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका मतलब है कि महिलाएं अपने जीवन में स्वतंत्रता, निर्णय और समानता का अनुभव करें और समाज में अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करें। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, समाजिक मानसिकता में परिवर्तन, और कानूनी संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कदम उठाने की आवश्यकता है। इन सभी क्षेत्रों में सुधार करने से महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान की भावना मिलती है और वे अपने अधिकारों को पूरी तरह से प्रयोग कर सकती हैं।

1. महिलाओं के अधिकार:

महिलाओं के अधिकार वह कानूनी, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हैं जो उन्हें समाज में समानता और न्याय दिलाते हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान हैं, जैसे:

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): कानून के समक्ष समानता और राज्य द्वारा समान संरक्षण का अधिकार।
- अवसर की समानता (अनुच्छेद 16): सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23): मानव तस्करी और बलात् श्रम के विरुद्ध संरक्षण।

2. महिलाओं के सशक्तिकरण के उपाय:

शिक्षा:

- महिला शिक्षा का महत्व: शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है।
- सरकारी योजनाएं: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आदि।
- चुनौतियाँ और समाधान: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, पारिवारिक समर्थन की कमी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा।

आर्थिक सशक्तिकरण:

- स्वरोजगार और उद्यमिता: महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों में सहायता देना।
- माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह: महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए।
- सरकारी योजनाएं: मुद्रा योजना, महिला उद्यमिता मंच आदि।

कानूनी अधिकार और संरक्षण:

- घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा: घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम आदि।

- कार्यस्थल पर सुरक्षा: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम।
- प्रवर्तन की चुनौतियाँ: कानूनी जागरूकता की कमी, न्याय प्रणाली की धीमी गति। इसके लिए प्रभावी प्रवर्तन और त्वरित न्यायिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।

सामाजिक मान्यताएँ और मानसिकता में परिवर्तन:

- लैंगिक समानता: समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास।
- सामाजिक अभियान: महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान।
- परिवार और समाज की भूमिका: महिलाओं को समान अवसर देने और उनके समर्थन में खड़े होने की आवश्यकता।

शोध का महत्व

इस अध्ययन का महत्व महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के संदर्भ में बहुत व्यापक है। यहां कुछ मुख्य कारण दिए जा रहे हैं जिनसे इस अध्ययन का महत्व समझा जा सकता है:

- समाजिक समता और न्याय: महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की अध्ययन समाजिक समता और न्याय के मानकों को बढ़ावा देता है। यह महिलाओं को समाज में उनकी स्थिति के मामले में जागरूक करता है और उन्हें समान अधिकारों की मांग करने में प्रेरित करता है।
- आर्थिक विकास: महिलाओं के सशक्तिकरण से उनके आर्थिक विकास में सुधार होता है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, उन्हें उचित काम मिलते हैं और वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती हैं। इससे उनके परिवार और समाज का भी विकास होता है।
- राष्ट्रीय विकास: महिलाओं के सशक्तिकरण से राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब महिलाएं सक्षम होती हैं, तो वे समाज के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, जैसे की शिक्षा, स्वास्थ्य, और नीति निर्माण।

शोध का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को समझना, उनके विकास में संभावित समस्याओं का परिचय देना, और उन्हें बेहतर समझने के लिए आवश्यक निर्देशक और सुझाव प्रदान करना होता है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- मुख्य अधिकारों को समझना और उनके प्रयासों का अध्ययन करना जैसे की शिक्षा, स्वास्थ्य, और साक्षरता।

- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उपायों और कार्यक्रमों का अध्ययन करना, जैसे की आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, और राजनीतिक भागीदारी.
- महिलाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक परिवेश का विश्लेषण करना, जो उनके अधिकारों और सशक्तिकरण को प्रभावित कर सकता है.
- महिलाओं को विशेष समस्याओं से निपटने के लिए योग्यताओं का अध्ययन करना, जैसे की हिंसा, उत्पीड़न, और वित्तीय विकास.
- समाज में समानता और समाज में बदलाव के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

निष्कर्ष—

अतः कोई भी देश उन्नति पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएँ कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। देश की तरक्की के लिए महिलाओं को सशक्त बनना होगा एक बार जब महिला अपना कदम आगे बढ़ा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है और राष्ट्र का विकास होता है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसे प्रति एक परिवार में बचपन से ही प्रचारित व प्रसारित करना आवश्यक है इसके लिए यह भी मूल रूप से ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को एक बेहतर शिक्षा प्राप्त हो अतः महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ समाज को भी भागीरथी प्रयास करने होंगे तथा अपनी उचित भूमिका का निर्वहन करना होगा। इन सामूहिक प्रयासों से ही महिलाओं को सम्मानीय दर्जा व उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सकेगी। अध्ययन के आधार पर, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के मुद्दे का महत्वपूर्ण और समाजिक रूप से न्यायाधीश विचार करना अत्यंत आवश्यक है। समाज में इसके अध्ययन से पता चलता है कि विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को समझना और सुरक्षित करना जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि समाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों को दूर करना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में, सरकारी नीतियां और समुदायिक पहलों के विकास में भी वृद्धि की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को समाज में उचित स्थान और सम्मान प्राप्त हो सके। इस प्रकार, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में हमारी संवेदनशीलता और समाज की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

संदर्भ ग्रन्थ—सूची

- “महिला सशक्तिकरण : कानून और संविधान की दृष्टि से लोक भारत, 8 अप्रैल 2023

- इन्द्रनाथ मदान, समकालीन साहित्य : एक नई दृष्टि, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 1970
- प्रतियोगिता दर्पण मई 2022, पृष्ठ 31, दशम् अंक।
- प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2019 पृष्ठ 32 चतुर्थ अंक।
- कृष्णा अग्निहोत्री, स्वातन्त्र्योत्तर, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्ली, 1990
- कैलाश नाथ शर्मा, भारतीय समाज और संस्कृति, किशोर पब्लिशिंग हाउस, कानपुर, 1952
- कटारिया कमलेश नारी जीवन वैदिक काल से आज तक यूनिक्स ट्रेडर्स जयपुर 2023
- मेरी वोल्सटन क्राफ्ट, “स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन”, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2003।
- सुदेश बत्रा, नारी अस्मिता हिन्दी उपन्यासों में, रचना प्रकाशन, जयपुर, 2016
- डॉ. कृष्ण लाल, हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 1980
- डॉ. कुसुम ‘वियोगी’ चर्चित कहानियाँ, दलित महिला कथाकारों की, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2022
- डॉ. तिलकराज, प्रेमचन्द और नानक सिंह के उपन्यास, जीवन ज्योति प्रकाशन, दिल्ली, 2021
- डॉ. अनिल गोयल, हिन्दी कहानी में नारी की सामाजिक भूमिका, आर्याना पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1985
- तसलीमा नसरीन, औरत के हक में, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1994
- नीरा देसाई, भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इण्डिया लि. दिल्ली, 1982
- नामवर सिंह, छायावाद , लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1975
- अंसारी एम.ए. “महिला और मानवाधिकार” ज्योति प्रकाशन, जयपुर— 2024।
- आशा रानी व्होरा, भारतीय नारी अस्मिता और अधिकार, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1986
- आशा रानी व्होरा, नारी शोषण आइने और आयाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1982
- ओम प्रकाश शर्मा, समकालीन कहानी लेखन, पूजा प्रकाशन, दिल्ली, 1973
- गोस्वामी तुलसी दास, रामचरित्र मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1995
- लोकतंत्र समीक्षा जनवरी दिसम्बर 2006, खण्ड 38 अंक—4 नई दिल्ली।